ऑन लाईन नं. RCMS 2023/208

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : रीना, आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 42/2023

1. ख्यालीराम पुत्र आदूराम जाति जाट निवासी फकीरवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. तहसीलदार राजस्व, पदमपुर।
2. चुन्नीराम पुत्र आदूराम जाति जाट निवासी फकीरवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

आंशिक अपील विरूद्व इंतकाल संख्या 365 दिनांक 23.09.2020 तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर जिसकी रूह में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व अनवानी अर्जनराम वगैरा बनाम आदूराम प्रकरण संख्या 63/2020 के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2020 की पालना में इंतकाल दर्ज किया गया है, का आंशिक निरस्त करने हेतू।

उपस्थित :

1.श्री जीतपाल सिंह सैनी, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.श्री गुरजीत सिंह वानर राजकीय अधिवक्ता
3.रेस्पोडेन्ट संख्या 2 उपस्थित नहीं।

:: आदेश :: **दिनांक :–29.11.2024**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि :–

1. यह कि मातहत अदालत का इंतकाल संख्या 365 दिनांक 23.09.2020 खिलाफ कानून वाकेयात व इंसाफ न होने के कारण अंशिक निरस्त किये जाने योग्य है। इंतकाल की प्रमाणित प्रति सलंग्न अपील है।
2. यह कि प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 55,91,92ए राज0 का0 अधि0 व अनवानी अर्जनराम वगैरा बनाम आदूराम वगैरा का प्रस्तुत हुआ जिसमें वादीगण ने पारिवारिक समझौते के अनुसार भूमि वादीगण के हिस्से की खातेदारी की मांग की गई, जिस पर प्रतिवादीगण उपस्थित आये तथा इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया तथा राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसके वाद उपखण्ड अधिकारी द्वारा राजीनामे के अनुसार निर्णय करते हुए वादीगण को खातेदार घोषित कर दिया। अपीलांट प्रकरण में वादी संख्या 2 बतौर पक्षकार था, जिसमें अपीलांट ख्यालीराम पुत्र आदूराम को चक बैरावास काहना तहसील पदमपुर की जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 का खाता संख्या 4/4 का मुरब्बा नम्बर 52/1.164 है0, 67/6.199 हैक्टर कुल 7.363 हैक्टर बारानी भूमि में से मुरब्बा नम्बर 67 में 3.4206 हैक्टर बारानी भूमि, चक 32 आर.बी. तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 का खाता संख्या 5/5 का मुरब्बा नम्बर 24/3.289 हैक्टर नहरी भूमि में से 0.6450 नहरी भूमि वादी संख्या 2/अपीलांट को

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

खातेदार मालिक घोषित किया गया, जिसकी निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2020 को जारी की गई। उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2020 की पालना में इंतकाल के लिए तहसीलदार (भू0अ0) पदमपुर को पत्र क्रमांक:राजस्व/2020/3316 दिनांक 03.07.2020 भेजा गया, तहसीलदार द्वारा अपने पत्र राजस्व/2020/1467 दिनांक 27.07.2020 मूल ही हल्का पटवारी फकीरवाली को भेजकर लेख है कि उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 29.06.2020 की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। इसके उपरान्त पटवारी द्वारा ग्राम बैरावास काहना पटवार हल्का फकीरवाली की भूमि का इंतकाल संख्या 365 दिनांक 23.09.2020 को दर्ज किया गया, जिसे अपीलांट निम्न आधारों पर चुनौती दे रहा है।

3. यह कि इंतकाल माननीय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2020 की पालना में दर्ज किया जाना था। माननीय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के निर्णय दिनांक 29.06.2020 में अपीलांट को चक बैरावास काहना तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 का खाता संख्या 4/4 का मु.न. 52/1.164 है0, 67/6.199 हैक्टर कुल 7.363 हैक्टर बारानी भूमि में से मुरब्बा नम्बर 67 में 3.4206 हैक्टर बारानी भूमि, चक 32 आर.बी. तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 का खाता संख्या 5/5 का मुरब्बा नम्बर 24/3.289 हैक्टर नहरी भूमि में से 0.6450 नहरी भूमि वादी संख्या 2/अपीलांट को खातेदार मालिक घोषित किया गया, परन्तु इन्तकाल दर्ज करते समय अपीलांट/ख्यालीराम पुत्र आदूराम का 2779/6199 हिस्सा दर्ज किया गया है तथा चुनी राम पुत्र आदुराम का 3240/6199 हिस्सा दर्ज किया गया है जबकि माननीय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय के अनुसार ख्यालीराम 3420/6199 हिस्सा व चुनीराम पुत्र आदुराम का 2779/6199 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है इसलिए इंतकाल इस हद तक निरस्त किया जाकर दुरस्त किया जाना आवश्यक है।

4. यह कि तहसीलदार को कोई विधिक अधिकार नहीं है कि आदेश में दर्ज हिस्से से कम हिस्सा अपीलांट का दर्ज करें तथा आदेश में दर्ज हिस्से से ज्यादा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का हिस्सा दर्ज करें तथा आदेश से बाहर जाकर इंतकाल दर्ज करें। इस प्रकार इंतकाल मनमाने पूर्वक दर्ज किया गया है जो कि विधि विरूद्व है। गिरदावर द्वारा भी इंतकाल का सही मिलान नहीं किया है और लापरवाही से इंतकाल दर्ज किया गया है इसलिए इंतकाल आंशिक तौर पर निरस्त किया जाकर दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

5. यह कि अपीलांट मातहात न्यायालय के आदेश से बुरी तरह से प्रभावित है। अपीलांट का रकबा 3240/6199 हिस्सा से कम होकर 2779/6199 हिस्सा इंतकाल में दर्ज किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को रकबा 2779/6199 हिस्सा से बढाकर 3240/6199 दर्ज किया गया है। इस प्रकार अपीलांट को भारी नुकसान हुआ है।

6. यह कि अपीलांट माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार खाता संख्या 4/4 का मुरब्बा नम्बर 52/1.164 है0, 67/6.199 हैक्टर कुल 7.363 हैक्टर बारानी भूमि में से मुरब्बा नम्बर 67 में 3.4206 हैक्टर बारानी भूमि, 3240/6199 हिस्सा पर काबिज चला आ रहा है तथा फसल काश्त की हुई है। फसल काश्त की हुई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अपने नाम अधिक दर्ज भूमि को बैचान करने पर उतारू है तथा इस भूमि पर ऋण भी उठा लिया है, इसलिए प्रथमदृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

इसलिए भूमि को सुरक्षित रखने के लिए रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जानी आवश्यक है जिसके लिए अलग से प्रार्थनापत्र पेश किया जा रहा है।

7. यह कि अपीलांट को इंतकाल में अपना हिस्सा कम होने की जानकारी नहीं थी चूंकि समस्त कार्यवाही एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने की गई है। अपीलांट को इंतकाल में अपने हिस्सा कम होने की जानकारी तब हुई जब अपीलांट ने पटवारी से इंतकाल की नकल दिनांक 03.06.2023 को ली। इंतकाल देखने पर अपीलांट को पता चला कि उसमें अपीलांट का हिस्सा कम दर्ज है जिस पर आज बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत की जा रही है। देरी को कंडोन करने के लिए अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम बैरावास काहना पटवार मण्डल फकीरवाली के इंतकाल संख्या 365 दिनांक 23.09.2020 को आंशिक निरस्त किया जावें तथा इंतकाल को दुरूस्त कर उसमें अपीलांट का हिस्सा 3240/6199 दर्ज किया जावें तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का हिस्सा 2779/6199 दर्ज किया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि मातहत अदालत का इंतकाल संख्या 365 दिनांक 23.09.2020 खिलाफ कानून वाकेयात व इंसाफ न होने के कारण अंशिक निरस्त किये जाने योग्य है। इंतकाल माननीय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिकी दिनांक 29.06.2020 की पालना में दर्ज किया जाना था। माननीय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के निर्णय दिनांक 29.06.2020 में अपीलांट को चक बैरावास काहना तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 का खाता संख्या 4/4 का मु.न. 52/1.164 है0, 67/6.199 हैक्टर कुल 7.363 हैक्टर बारानी भूमि में से मुरब्बा नम्बर 67 में 3.4206 हैक्टर बारानी भूमि, चक 32 आर.बी. तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 का खाता संख्या 5/5 का मुरब्बा नम्बर 24/3.289 हैक्टर नहरी भूमि में से 0.6450 नहरी भूमि वादी संख्या 2/अपीलांट को खातेदार मालिक घोषित किया गया, परन्तु इन्तकाल दर्ज करते समय अपीलांट/ख्यालीराम पुत्र आदूराम का 2779/6199 हिस्सा दर्ज किया गया है तथा चुनी राम पुत्र आदुराम का 3240/6199 हिस्सा दर्ज किया गया है जबकि माननीय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय के अनुसार ख्यालीराम 3420/6199 हिस्सा व चुनीराम पुत्र आदुराम का 2779/6199 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है। तहसीलदार को कोई विधिक अधिकार नहीं है कि आदेश में दर्ज हिस्से से कम हिस्सा अपीलांट का दर्ज करें तथा आदेश में दर्ज हिस्से से ज्यादा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का हिस्सा दर्ज करें तथा आदेश से बाहर जाकर इंतकाल दर्ज करें। इस प्रकार इंतकाल मनमाने पूर्वक दर्ज किया गया है जो कि विधि विरूद्व है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम बैरावास काहना पटवार मण्डल फकीरवाली के इंतकाल संख्या 365 दिनांक 23.09.2020 को आंशिक निरस्त किया जावें तथा इंतकाल को दुरूस्त कर उसमें अपीलांट का हिस्सा 3240/6199 दर्ज किया जावें तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का हिस्सा 2779/6199 दर्ज किया जावें।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त विवादित इंतकाल माननीय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2020 की पालना में दर्ज किया जाना था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा उक्त निर्णय से बाहर जाकर अपीलांट/ख्यालीराम पुत्र आदूराम का 2779/6199 हिस्सा दर्ज किया गया है तथा चुनी राम पुत्र आदुराम का 3240/6199 हिस्सा दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पदमपुर को उपखण्ड अधिकारी के निर्णय के अनुसार ख्यालीराम 3420/6199 हिस्सा व चुनीराम पुत्र आदुराम का 2779/6199 हिस्से के अनुसार इन्तकाल में आंशिक संशोधन किया जाना चाहिए।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि विवादित इंतकाल माननीय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2020 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को दर्ज किया जाना चाहिए था जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय से बाहर जाकर अपीलांट/ख्यालीराम पुत्र आदूराम का 2779/6199 हिस्सा दर्ज किया गया है तथा चुनी राम पुत्र आदुराम का 3240/6199 हिस्सा दर्ज किया गया है जो विधि विरूद्व है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पदमपुर को उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2020 के अनुसार ख्यालीराम पुत्र आदूराम 3420/6199 हिस्सा व चुनीराम पुत्र आदुराम का 2779/6199 हिस्से के अनुसार इन्तकाल में आंशिक संशोधन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें एंव रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना)
अति0 जिला कलक्टर,
(प्रशासन) श्रीगंगानगर।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर